

दिनांक आज्ञा पत्र

20.8.18

17.8.18 को राजकीय प्रकाश एकेडमी

स्वातंत्र्य पत्रिका / रिपोर्ट उपस्थित  
 दिनांक 15.11.18



15.11.18

पत्रावली पेश  
 वास्तु शिष्टत  
 दिनांक 15.11.18

15.1.19

पत्रावली पेश  
 वास्तु शिष्टत पेश एकेडमी  
 दिनांक 22.4.19

22.4.19

स्वातंत्र्य पत्रिका / रिपोर्ट उपस्थित।  
 दिनांक 22.4.19

17.8.19

स्वातंत्र्य पत्रिका / रिपोर्ट उपस्थित।  
 दिनांक 17.8.19

3.9.19

स्वातंत्र्य पत्रिका / रिपोर्ट उपस्थित।  
 दिनांक 3.9.19

18.10.19

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रिपोर्टों के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रिपोर्टों के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली के तहत गुणार होकर नम्बर 10 कम होकर बन्द नरतीव तदनुसार वकील दफ्तर लें।



प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर